International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 7 Issue 1 || January 2018 || PP 82-83

भारत मे स्वतंत्रता के बाद हिन्दी का राजभाषा के रूप मे विकास

डॉ. भूपेन्द्र कौर
सहायक प्राध्यापिका
शिक्षा विभाग
आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

सार–
स्वतन्त्रता के पूर्व जो छोटे बडे राष्ट्नेता राष्ट्भाषा या राजभाषा के रूप मे हिन्दी को अपनाने के मुददे पर सहमत थे, उनमे से अधिकांश गैर हिन्दी भाषी नेता स्वतन्त्रता मिलने के वक्त हिन्दी के नाम पर बिदकने लगे। यही वजह थी कि संविधान सभा मे केवल हिन्दी पर विचाार नही हुआा बल्कि राजभाषा के नाम पर जो बहस वहॉ पर 11 सितम्बर 1949 ई. से 14 सितम्वर 1949 तक हुई, उसमे अग्रेजी, संस्कृत एवं हिन्दुस्तानी के दावे पर विचार किया गया। किन्तु संधर्ष की स्थिति सिर्फ हिन्दी या अग्रेजी के समर्थको के बीच ही देखने को मिली। हिन्दी समर्थक वर्ग मे दो गुट थे –

- *एक गुट देवनागरी लिपि वाली हिन्दी का समर्थक था।*
- *दूसरा गुट (महात्मा गॉधी, जे. एल. नेहरू, अबदुल कलाम आजाद आदि) दो लिपियो वाली हिन्दुस्तानी के पक्ष मे थे।*

आजाद भारत मे एक विदेशी भाषा, जिसे देश का बहुत थोडा सा अंश ही पढ–लिख सकता और समझ सकता था, वह देश की राजभाषा नही बन सकती थी। लेकिन यकायक अग्रेजी को छोडने मे भी दिक्कते थी। प्राय 150 वर्षो से अग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा वही रही थी हिन्दी देश की जनता की भाषा थी। राजभाषा बनने के लिए हिन्दी का दावा न्याययुक्त था। साथ ही, प्रादेशिक भाषाओ की भी सर्वथा उपेक्षा नही की जा सकती थी। हिन्दी के विकास के लिए यह आवश्यक है कि यांत्रिक साधनो को भी विकसित किया जाये।

मुख्य शब्द (Key words): *पृच्छा, यांत्रिक, प्राधिकृत, शिथिल, आत्मसात, निर्दिष्ट, वर्णित, विनिर्दिष्ट*

प्रस्तावना–

राजभाषा क्या है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है–राज–काज की भाषा वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यो के लिए प्रयुक्त होती है, राजभाषा कहलाती है। राजाओ, नबाबो के जमाने मे इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है। स्वशासन आने के पश्चात् राजभाषा की आवश्यकता होती है। प्राय राष्ट्भाषा ही स्वशासन आने के बन जाती है। भारत मे भी राष्ट्भाषा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा एक संवैधानिक शव्द है। हिन्दी को 14 सितम्बर 1949 ई. को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' के रूप मे मनाया जाता है। राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यो के, द्वारा राजनीतिक, आर्थिक इकाईयो मे जोडने का काम करती है। अर्थात राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग–क्षेत्र सीमित होता है, यथा–वर्तमान समय मे भारत सरकार के कार्यालयो एवं कुछ राज्यो मे राज–काज हिन्दी मे होता है। अन्य राज्य सरकारे अपनी–अपनी भाषा मे कार्य करती है, हिन्दी मे नही। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है जैसे– मुगल शासक अकबर के समय से लेकर मैकाले के समय तक फारसी राजभाषा तथा मैकाले के समय से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक अग्रेजी राजभाषा थी जो कि विदेशी भाषा थी। जब कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।

हिन्दी की संवैधानिक स्थिति और 'संध की भाषा' की समीक्षा–

दीर्धकालीन संधर्ष के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 के अनुसार संघ की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी घोषित की गयी। भारतीय संविधान मे हिन्दी को भी राष्ट्भाषा नही कहा गया है। उसे संध की राजभाषा या संध की भाषा धोषित किया गया है। इस धोषणा के बाद राष्ट्भाषा का तात्पर्य बदल गया। राष्ट् की जितनी भाषाए है वे सभी राष्ट्भाषाऍ है। सम्पर्क भाषा या राजभाषा या संध की भाषा है हिन्दी। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया किन्तु हिन्दी राजभाषा के रूप मे तत्काल लागू नही की गयी। संविधान मे ही उल्लेख कर दिया गया था कि राजभाषा के रूप मे अग्रेजी 15 वर्षो तक चलती रहेगी। तत्पश्चात उसके स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। इस कालावधि मे राष्ट्पति आदेश के द्वारा राजकीय प्रयोजनो मे से किसी एक के लिए अग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंको के अन्तराष्ट्रीय रूप के साथ–साथ देवनागरी रूप के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। इस अवधि के पश्चात् भी संसद विधि द्वारा अग्रेजी भाषा का ऐसे प्रयोजनो के लिए कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि मे उल्लिखित है। अनुच्छेद 343 (3) की अंतिम पंक्ति इस अवधि को शिथिल कर देती है। इसके दुरूपयोग की संभावना थी जो बाद मे प्रत्यक्ष हुई। अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग बनाने का प्राविधान करता है। संविधान के प्रारम्भ से, राजभाषा के संबंध मे आयोग–5 वर्ष के उपरांत राष्ट्पति द्वारा और 10 वर्ष के बाद एक आयोग गठित करेगे निम्नलिखित मामलो पर अपनी सिफारिशें प्रेरित करेगे।

(क) संध के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरेत्तर अधिक प्रयोग के विषय मे।
(ख) संध के राजकीय प्रयोजनो में से सब या किसी एक के लिए अग्रेजी भाषा के प्रयोग प्रतिबन्ध के विषय मे।
(ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों मे प्रयुक्त होने वाली भाषा के विषय मे।
(घ) संध के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनो के लिए प्रयोग किये जाने वाले अंको के विषय मे।
(ड) संध की राजभाषा तथा संध और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे मे राष्ट्पति द्वारा आयोग से पृच्छा किये हुए किसी अन्य विषय पर।

हिन्दी के विकास के लिए निर्देश–

राष्ट्पति द्वारा बनाया गया आयोग भारत की औद्योगिक, सास्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति तथा लोकसेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्रो के लोगो के न्यायापूर्ण दावो और हितों का यथा संभव ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की समृद्वि, प्रसार और विकास का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर डाला गया है। यहॉ के भावी स्वरूप को भी निर्दिष्ट किया गया है। इसके ऐसे रूप को विकसित करना है। जो सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वो की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी मौलिकता मे हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनूसूची मे उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओ के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहॉ तक आवश्यक या वाछनीय हो वहॉ तक उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत; संस्कृत से तथा गौणत; अन्य भाषाओ से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्वि सुनिश्चित करना संध का कर्त्तव्य होगा। अनुच्छेद 345 यह उपबन्धित करता है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों मे से सब या किसी

राज्य के लिए उस मे प्रयुक्त होने वाली भाषा मे से किसी एक या अनेक को अंगीकार कर सकता है। किन्तु संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली प्राधिकृत भाषा ही एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच मे तथा किसी राज्य और संघ के बीच मे संचार के लिए राजभाषा होगी। अनुच्छेद 348 के अनुसार न्यायिक और विधायी प्रक्रियाओ के लिए हिन्दी भाषा का प्रावधान करती है। संसद जब तक विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक, उच्चतम न्यायालय और सब कार्यवाहियॉ और विधेयक, अधिनियम, आदेश, नियम, विनियम के प्राधिकृत पाठ अग्रेजी भाषा मे होगे। अनूच्छेद 348 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्पति की पूर्वसम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य मे राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य मे मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। राज्य विधानपालिका अग्रेजी को छोड कर किसी अन्य भाषा को विधान निर्माण एवं प्रत्यायोजित विधान के लिए प्राधिकृत कर सकती है, लेकिन राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार के अन्तर्गत अग्रेजी मे उसका अनुवाद सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होना आवश्यक है और वही अग्रेजी का प्राधिकृत पाठ माना जायेगा। संघ की राजभाषा के रूप मे अग्रेजी से हिन्दी भाषा मे परिवर्तन के लिए जो सीमा निर्धारित की गयी है, वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियो पर लागू नही होती है। यह विषय संसदीय विधान के द्वारा नियमित किया जाता है। न्यायिक कार्यवाहियों एंव विधान निर्माण पर जो प्रतिबंध पंद्रह वर्षीय काल सीमा के बीच के लिए निर्धारित किये गये थे वे समाप्त हो गये। राष्ट्पति ने संविधान प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 मे अग्रेजी के साथ हिन्दी के प्रयोग को अधोलिखित कार्यो के लिए प्राधिकृत किया ।

1. जनता के साथ पत्र व्यवहार करना।
2. सरकारी पत्रिकाओ, प्रशासनिक तथा संसद मे प्रस्तुत की जाने वाली रिर्पोटों के लिए।
3. सरकारी संकल्प तथा विधायी अधिनियमितियों के लिए।
4. संधियों और संविदाओ के लिए।
5. विदेशी सरकारो, दूतो तथा अन्तराष्टीय संगठनो के साथ किये जाने वाले पत्र–व्यवहार के लिए।

1955 मे राजभाषा आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे तत्कालीन बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री बालगंगाधर खरे। अन्य राज्यो के भी 20 सदस्यो को इस आयोग मे सम्मिलित किया गया था। इस आयोग ने सरकारी, गैरसरकारी अधिकारियों, नागरिकों तथा संस्थाओ से सम्बद्व व्यक्तियो से सम्पर्क करके एक प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसे जुलाई 1956 मे राष्ट्पति को सौप दिया। इस प्रतिवेदन मे हिन्दी के महत्व को गहराई से अनुभव किया गया।

आयोग ने प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए 1957 मे गोविन्द बल्लभ पन्त की अध्यक्षता मे एक संसदीय समिति गठित की गया। इस समिति ने अपनी रिर्पोट 4 फरवरी 1959 को राष्ट्पति के पास प्रस्तुत की। 27 अप्रैल 1960 को संविधान के अनुच्छेद 344 की व्यवस्था के अनूसार राष्ट्पिता ने संघ की राजभाषा के संदर्भ मे एक आदेश निर्गत किया

राजभाषा के रूप मे हिन्दी की प्रगति राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा बाधित हो गयी। इस अधिनियम मे अनुच्छेद 354 मे वर्णित अवधि के होते हुए भी अग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल तक प्रयोग किये जाने के लिए उपबन्ध किया गया है। इस प्रकार हिन्दी को पूर्ण रूप से राजभाषा के रूप मे प्रतिष्ठित करने की अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढा दिया गया। इसके बाद राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम मे राजभाषा की उन्नति को अन्य भारतीय भाषाओ के साथ जोड कर देखा गया। इसमे हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए केन्द्र सरकार से अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम बनाने की अपेक्षा की गयी। इस अधिनियम मे भारतीय संविधान मे लिखित सभी 15 भाषाओ की उन्नति, त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का प्राविधान किया गया। केन्द्रीय सेवाओ मे हिन्दी या अग्रेजी किसी एक भाषा के ही ज्ञान को पर्याप्त मानने तथा अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओ मे भारतीय भाषाओ को माध्यम के रूप चयन करने की छूट पहली बार दी गयी। केन्द्रीय सेवाओ मे हिन्दी माध्यम हो जाने के कारण राजभाषा के विकास मे काफी मदद मिली। इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार गृहमंत्रालय द्वारा कई प्रशासनिक आदेश जारी किये गये। जो इस प्रकार है–

1. केन्दीय सरकार द्वारा हिन्दी अपनाने वाले राज्यो से हिन्दी मे पत्र व्यवहार किया जाये।
2. कर्मचारियो द्वारा टिप्पणी तथा आलेखन हिन्दी या अग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा मे तैयार किया जाये।
3. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा पंजिका हिन्दी मे लिखा जाये।
4. जनता के प्रयोग मे आने वाले फार्मो को हिन्दी, अग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओ मे छपवाये जाये।

वर्ष 1976 मे राजभाषा से सम्बन्धित कुछ नियम बनाये गये। राजभाषा नियमो के अनुसार सम्पूर्ण देश को तीन भागों मे विभाजित किया गया है। इस विभाजन का प्रमुख प्रयोजन यह है कि जिस क्षेत्र मे हिन्दी का अधिक प्रचलन है वहॉ उसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाये। जहॉ कम प्रचलन है वहॉ धीरे–धीरे उसके प्रयोग को बढाया जाये। जहॉ बिलकुल प्रचलन नही है वहॉ उसके प्रयोग के लिए आवश्यक तैयारियॉ की जाये।

निष्कर्ष–

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वो की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति मे हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी मे और 8वीं अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं मे प्रयुक्त रूप शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहॉ आवश्यक या वाछनीय हो वहॉ उसक शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणत; अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए संविधान निर्माताओ ने राजभाषा की समस्या को हल कर ने की कोशिश की संविधान सभा के भीतर और बाहर हिन्दी के विपुल समर्थन को देख कर संविधान सभा ने हिन्दी के पक्ष मे अपना फैसला दिया। यह फैसला हिन्दी विरोधी एवं हिन्दी समर्थको के बीच 'मुशी–आयंगार फॉमूले' के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसकी प्रमुख विशेषताऍ इस प्रकार थी–

हिन्दी भारत की राष्ट्भाषा नही बल्कि राजभाषा है।

संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षो की अवधि तक अग्रेजी बनी रहेगी।

एक अस्पष्ट निर्देश के आधार पर हिन्दी एंव हिन्दुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया।

पंजाब, महाराष्ट् ओर गुजरात राज्यो ने अपने शासन मे क्रमश; पंजाबी, मराठी और गुजराती भाषा के साथ–साथ हिन्दी को 'सहभाषा' के रूप मे धोषित कर रख है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

हिन्दी साहित्य का इतिहास–डॉ0 सुरेश चन्द्र निर्मल
हिन्दी समीक्षा; स्वरूप और संदर्भ–डॉ रामदरश मिश्र
तारीखे उर्दू अदव–सैयद एहतिशाम हुसैन
इतिहास और आलोचना–डॉ0 नामवर सिह
हिन्दी आलोचना–डॉ0 विश्वनाथ त्रिपाठी
हिन्दी भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–प्रो0 रामकिशोर शर्मा
हिन्दी भाषा का विकास–प्रो0 राम किशोर शर्मा
भाषा विज्ञान, हिन्दी भाषा और लिपि–प्रो0 राम किशोर शर्मा